संजय मल्होत्रा आई.ए.एस.
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

विद्युत भवन, जनपथ
जयपुर– 302005

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
रजि0 कार्या0 : विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर–302005, दूरभाष: 0141–2740382–1318, फेक्स: 0141–2747035
वेबसाईट : www.jaipurdiscom.com; email: cmd@jvvnl.in, CIN: U40109RJ2000SGC016486

क्रमांक: अध्यक्ष डिस्कॉम्स/एमआईएस/पत्रा. /प्रे. 27 जयपुर, दिनांक: 06.05.2016

सुरक्षित बिजली अभियान

विद्युत दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहने व सुरक्षित विद्युत तंत्र बनाये रखने के उद्देश्य से 16 मई से 15 जून तक सुरक्षित बिजली अभियान चलाया जायेगा। अभियान के दौरान विद्युत अधिनियम–2003 एवं विद्युत नियम 2005 के अनुरूप सुरक्षा संबंधी जानकारियां उपभोक्ता व कर्मचारियों को देने, सुरक्षा साधनों का उपयोग करने एवं 33 के.वी उपपारेषण व 11 केवी तंत्र तथा एल.टी. सिंगल फेज व थ्री फेज लाईनों, केबिलों, पिलर बॉक्स, एल. टी. फ्यूज सिस्टम की जांच कर, सुरक्षा के लिये खतरनाक स्थानों को, आबादी क्षेत्र, राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग, स्थानीय कच्ची–पक्की सडकों/मार्गों, खेतों में जा रही लाईनों का सर्वे कर संवेदनशील स्थानों का चिन्हीकरण कर सुधार कार्य पूर्ण किया जावेगा। इस अभियान के अन्तर्गत सभी सम्बंधित अधिकारियों को विद्युत दुर्घटनायें निर्मूल करने हेतु निम्न कार्यवाही संचालित करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

1. कार्य योजना

1.1 सभी फीडर इंचार्ज 10 मई 2016 तक अपने अधीनस्थ 11 के.वी फीडरों का सर्वे कर विद्युत सुरक्षा के लिए संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर सिंगल लाईन डायग्राम में पोलों की सँख्या चिन्हित कर रिपोर्ट कनिष्ठ अभियन्ता को देगें।

1.2 33 के.वी लाईनों का सर्वे, क्षेत्र के कनिष्ठ अभियन्ता स्वंय करेंगे व सिंगल लाइन डायग्राम में संवेदनशील स्थानों को 10 मई 2016 तक चिन्हित कर तैयार करेंगे तथा फीडर इंचार्ज से प्राप्त एस.एल.डी का 100% वेरीफिकेशन कर 12 मई, 2016 तक सहायक अभियन्ता को प्रस्तुत करेगें।

1.3 सहायक अभियन्ता (प.व.स) सभी प्राप्त एस.एल.डी में से सभी कनिष्ठ अभियन्ता क्षेत्रों के 25 प्रतिशत एस.एल.डी. इस प्रकार निरीक्षण करेंगे कि प्रत्येक 33 के.वी सब–स्टेशन से निर्गमित फीडरों में से कम से कम एक फीडर की सेम्पल जाँच हो जावे। फीडर वार चिन्हित स्थानों की सूची व किये जाने वाले कार्यों का एसेस्मेन्ट 14 मई, 2016 तक अधिशाषी अभियंता को भेजेंगे तथा सेम्पल जाँचों में कमी पाये जाने पर सम्बंधित फीडर इंचार्ज व कनिष्ठ अभियन्ता के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट अधिशाषी अभियन्ता को भेजेंगे।

1.4 अधिशाषी अभियन्ता प्रत्येक कनिष्ठ अभियन्ता क्षेत्र में कम से कम एक 11 के.वी फीडर व सहायक अभियन्ता क्षेत्र के एक 33 के.वी फीडर का एस.एल.डी अनुसार 100 प्रतिशत सर्वे जाँच का कार्य 15 मई तक पूर्ण कर फीडरवार संवेदनशील स्थानों की सूची अधीक्षण अभियन्ता को भेजेंगे। सैम्पल जाँच के दौरान सहायक अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में लापरवाही या कमियाँ पायी जाने पर सम्बंधित फीडर इंचार्ज, कनिष्ठ अभियन्ता व सहायक अभियन्ता के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

1.5 सर्वे रिपोर्ट 15 मई 2016 तक अन्तिम रूप से तैयार करने के बाद अधिशाषी अभियन्ता सुरक्षा के लिये संवेदनशील स्थानों के सुधार के लिये कनिष्ठ अभियन्तावार रोड़ मैप इस प्रकार तैयार करेंगे कि सभी क्षेत्रों में सुधार कार्य 16 मई से प्रारम्भ होकर 15 जून, 2016 तक पूरा कर लिया जावें।

1.6 सभी फीडरों के चिन्हित संवेदनशील पॉइन्टों व उसके प्रकार का एल.एस.डी पर चिन्हिकरण करने के बाद फीडर इंचार्ज कनिष्ठ अभियन्ता के दिनांक सहित हस्ताक्षर किये जावें, जिन फीडर की जांच सहायक अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता द्वारा की जावेगी, जांच की गई फीडरो की एस.एल.डी पर उनके भी हस्ताक्षर मय दिनांक एवम् टिप्पणी सहित किये जावेंगे।

1.7 चिन्हित कार्य यदि फीडर इम्प्रूवमेन्ट प्रोग्राम में भी चिन्हित किये गये हों तो उनको सुधारने का कार्य उन्ही ठेकेदारों से कराया जावे, यदि पहले से चिन्हित नही हैं तो नये कार्य आदेश सी.एल.आर.सी. पर देकर उन्ही ठेकेदारों से कराने का प्रबंध करें। बेहतर होगा कि उपखण्डों में उपलब्ध सभी सक्षम ठेकेदारों को अलग–अलग कार्य देकर समय पर कार्य पूर्ण करावें। आवश्यकता पड़ने पर केवल इस अभियान के अन्तर्गत चिन्हित कार्यो को आऊट ऑफ रोस्टर कराया जा सकेगा। जिन उपखण्डों में विभागीय कर्मचारियों से निर्धारित समय सीमा में कार्य कराया जा सकता है तो वहां कर्मचारियों से कार्य कराने को प्राथमिकता दी जावे।

1.8 कनिष्ठ अभियंता अपने क्षेत्र में संवेदनशील स्थानों को सुधारने के लिये चिन्हित किये गये कार्यों की सूचना संबंधित क्षेत्र के सरपंचों को भी उपलब्ध करावेंगे ताकि उनकी जानकारी में किसी और स्थान पर भी सुरक्षा की दृष्टि से वितरण तंत्र के सुधार की आवश्यकता हो तो उसके बारे में कनिष्ठ अभियंता को सूचित करें। कार्य पूर्ण होने के बाद कनिष्ठ अभियंता (पवस) पालना रिपोर्ट पर संबंधित सरपंचों के हस्ताक्षर करा कर रिपोर्ट सहायक अभियंता को 15 जून, 2016 तक प्रस्तुत करेंगे।

1.9 अधिशाषी अभियन्ता (पवस), अभियान के दौरान सभी चिन्हित कार्यो को पूर्ण कर 16 जून 2016 तक अधीक्षण अभियन्ता व संभागीय मुख्य अभियन्ता को लिखित में यह प्रमाण देंगे कि उनके अधिनस्थ क्षेत्र में अब कोई भी हाईरिस्क पॉईन्ट सुधार के लिए शेष नहीं है।

2. सुरक्षित विद्युत तंत्र के मापदण्ड

2.1 विद्युत नियम 2005 की धारा 77 के अन्तर्गत विद्युत लाईनों की भूतल से निम्नानुसार निर्धारित ऊँचाई की बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे ताकि घातक/अघातक दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

क्र. स.	लाईन वोल्टेज	भूतल से ऊँचाई		
		सडक कासिंग पर	सडक किनारे	अन्य स्थानों पर
1	एल. टी. लाईन	5.8 मीटर (19 फुट)	5.5 मीटर (18 फुट)	4.6 मीटर (15 फुट) नग्न तारों हेतु 4 मीटर (13 फुट) इन्सूलेटेड तारों हेतु
2	11 के.वी. लाईन	6.1 मीटर (20 फुट)	5.8 मीटर (19 फुट)	
3	33 के.वी. लाईन	6.1 मीटर (20 फुट)	5.8 मीटर (19 फुट)	5.2 मीटर (17 फुट)

2.2 विद्युत नियम 2005 की धारा 79 एवं 80 के अन्तर्गत भवनों की विद्युत लाईनों से निर्धारित दूरी की निम्नानुसार पालना सुनिश्चित करेंगे।

क्र. स.	लाईन वोल्टेज	विद्युत लाईनों से दूरी	
		उर्ध्व (Vertical)	क्षैतिज (Horizontal)
1	एल. टी. लाईन	2.5 मीटर (8.2 फुट)	1.2 मीटर (4 फुट)
2	11 के.वी. लाईन	3.7 मीटर (12 फुट)	1.2 मीटर (4 फुट)
3	33 के.वी. लाईन	3.7 मीटर (12 फुट)	2 मीटर (6.5 फुट)

3. सुरक्षा हेतु प्रचार प्रसार

3.1 विद्युत उपकरण व लाईनों से सुरक्षित दूरी बनाये रखने, सुरक्षा उपकरणों व साधनों का उपयोग करने व सुरक्षा निर्देशो के पालन सम्बंधी सूचना हेतु प्रत्येक उपखण्ड व 33 के.वी सब–स्टेशन पर 4X6 फीट के फ्लेक्स पर प्रदर्शित की जावें। इसके लिये उपमुख्य अभियंता (सुरक्षा व ट्रेनिंग), जयपुर डिस्कॉम व पी.आर.ओ. फ्लेक्स डिजाइन कर 12 मई, 2016 तक सभी वृतों व उपखण्डों में ई–मेल के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी भेजने का प्रबंध करेंगे।

3.2 पंचायत समिति/नगर निकायों की बैठको में अधिशाषी अभियन्ता (प.व.स) व पंचायत व वार्ड स्तर पर सहायक अभियन्ता (प.व.स) विद्युत तंत्र से सुरक्षित रहने की जानकारियाँ देंगे ताकि इस अभियान व इसके उद्देश्यों के बारें मे व्यापक प्रचार हो।

3.3 अधीक्षण अभियन्ता प्रत्येक सप्ताह स्थानीय समाचार पत्रों में वृत स्तर पर किये जा रहे कार्यों की प्रगति व विद्युत तंत्र से सुरक्षा के बारे में विज्ञापन के माध्यम से आम जन को अवगत करावेंगे।

3.4 निगम स्तर पर अधीक्षण अभियन्ता (प्लान) व जन संर्पक अधिकारी विद्युत तंत्र से सुरक्षित रहने के उपाय व क्रियान्वित की जा रही योजना के बारे में आम जन की जानकारी हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करावेंगे।

3.5 अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी) एस.एम.एस के माध्यम से जिन उपभोक्ताओं के मोबाईल बिलिंग सिस्टम मे फीड कर दिये गये हैं उन्हे विद्युत तंत्र से सुरक्षित रहने के बारे मे अभियान के दौरान प्रत्येक सप्ताह सूचित करावेंगे। इसके लिये एस.एम.एस. का प्रारूप उपमुख्य अभियंता (सुरक्षा व ट्रेनिंग) उपलब्ध करायेंगे।

3.6 IFACT के माध्यम से आम जन को सूचित करने व उनका फीडबैक प्राप्त करने हेतु जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर, डी.ओ.आई.टी विभाग, राजस्थान सरकार से सम्पर्क कर कार्यवाही करावेंगे।

4. कार्ययोजना का निरीक्षण

4.1 कनिष्ठ अभियन्ता विद्युत तंत्र से सुरक्षित दूरी बनाये रखने हेतु किये जा रहे सुधार कार्यों की स्वयं देख–रेख करेंगे व कार्य पूर्ण होने के बाद किसी भी विद्युत दुर्घटना के लिये फीडर इंचार्ज के साथ साथ सीधे जिम्मेदार होंगे।

4.2 सहायक अभियन्ता सुरक्षा हेतु किये जा रहे कार्यों का अपने उपखण्ड में 100 प्रतिशत निरीक्षण करेंगे व निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कार्य किये जाने के लिये जवाबदेह होंगे।

4.3 अधिशाषी अभियन्ता प्रत्येक 33 के.वी फीडर व सब–स्टेशन के सुधार कार्यो एवम् 11 के. वी. व एल.टी तंत्र के 25 प्रतिशत कार्य का स्वयं निरीक्षण करेंगे। कमियाँ पाये जाने पर दोषी ठेकेदार, कर्मचारी, कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अधीक्षण अभियन्ता को भेजेंगे व कमियों के सुधारने का कार्य अपनी देख रेख मे पूर्ण करावेंगे।

4.4 अधीक्षण अभियन्ता सुरक्षा अभियान के दौरान प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक खण्ड के कम से कम एक उपखण्ड का दौरा कर कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे व खण्ड स्तर पर कार्य की समीक्षा कर 15 जून, 2016 से पूर्व सभी चिन्हित कार्यो को पूर्ण कराने की व्यवस्था करेंगे।

4.5 सम्भागीय मुख्य अभियन्ता प्रत्येक सप्ताह अलग–अलग वृतों के ग्रामीण क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता व प्रगति का निरीक्षण करेंगे।

5. कार्य प्रगति

5.1 अधिशाषी अभियन्ता प्रतिदिन अपने अधीनस्थ उपखण्डों की प्रगति से एस.एम.एस. द्वारा अधीक्षण अभियन्ता व सम्भागीय मुख्य अभियन्ता को अवगत करावेंगे।

5.2 अधीक्षण अभियन्त प्रत्येक सोमवार को गत शनिवार तक की प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप में सम्भागीय मुख्य अभियन्ता को प्रातः 11 बजे तक सूचित करेंगे।

5.3 सम्भागीय मुख्य अभियन्ता प्रत्येक सोमवार को सांयः 3 बजे तक प्रगति की सूचना अधीक्षण अभियन्ता (प्लान) को निगम स्तर पर संकलन हेतु भेजेंगे।

5.4 अधीक्षण अभियन्ता (प्लान) सोमवार सांय 6 बजे तक वृतवार सूचनाओं का संकलन कर निदेशक तकनीकी व प्रबन्ध निदेशक को प्रस्तुत करेंगे।

5.5 जन सम्पर्क अधिकारी प्रत्येक सप्ताह अति संवेदनशील स्थानों के सुधार के लिये किये जा रहे कार्यों की प्रगति के बारे में समाचार पत्रों, टी.वी., रेडियो इत्यादि में विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु भेजेंगे।

वितरण निगम के कर्मचारियों व अभियन्ताओं को दुर्घटनाऐं रोकने के उद्देश्य उपरोक्त निर्देश इनके द्वारा किये जाने वाले सामान्य कार्यों के अंतर्गत निहित है। इन आदेशों की पालना समयबद्व सुनिश्चित करना प्रत्येक स्तर पर उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। अभियान के बाद भी सुरक्षित वितरण तंत्र के लिए दिये गये निर्देशो की पालना सुनिश्चित की जावे । किसी भी परिस्थिति में दुर्घटना होने पर यदि अभियन्ताओं/कर्मचारियों द्वारा समय पर कार्यवाही न किया जाना अथवा कार्य में लापरवाही होना पाया गया तो उनके विरूद्व विद्युत अधिनियम–2003 व विद्युत नियम–2005 एवं सीसीए रूल्स के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

24.2.17

(संजय मल्होत्रा)
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित है :–

1. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर/जोधपुर ।
2. निदेशक (वित्त/तकनीकी/पीटी), जयपुर /अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, ...।
3. संभागीय मुख्य अभियन्ता ( ), जयपुर /अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर को सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित करने, निरीक्षण करने व मॉनिटरिंग करने की कार्यवाही एवं तकनीकी कर्मचारियों को तदानुसार आदेशित करना सुनिश्चित करने के लिये।
4. मुख्य अभियन्ता (पीपीपी/वाणिज्य/एमएम/आईटी/एमएण्डपी/डीडीयूजीजेवाई), जयपुर/अजमेर/ जोधपुर डिस्कॉम, ...।
5. सचिव (प्रशासन), जयपुर /अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी (एफएम/आईए/राजस्व/कंट्रोल/.....), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
7. प्रावैधिक सहायक–माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री महोदय, जयपुर।
8. निजी सचिव–प्रमुख शासन सचिव (ऊर्जा), राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. प्रावैधिक सहायक–अध्यक्ष डिस्कॉम्स, जयपुर।
10. प्रावैधिक सहायक–प्रबंध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
11. निजी सहायक–जिला कलेक्टर, ...।
12. जन संपर्क अधिकारी, जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर

24/2/17

(टी.एस.शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (एम.आई.एस.)